विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)

द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174

दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–246 / 2026

श्री बृजमोहन सिंह कण्डारी
निवासी–मोलधार, बडियारगढ
टिहरी गढवाल — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड — विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) — कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री बृजमोहन सिंह कण्डारी, निवासी–मोलधार, बडियारगढ, टिहरी गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 05.01.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे नाम श्री बृजमोहन सिंह कण्डारी पुत्र श्री जगत सिंह के नाम पर एक विद्युत कनेक्शन था जिसका वादी द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया था परन्तु इसके पश्चात् भी विभाग द्वारा धारा–5 का नोटिस वादी को प्रेषित किया गया है जबकि दोनो विद्युत कनेक्शनों में वादी का बिल सं0 एवं मीटर सं0 एक जैसा है जिसका वादी भुगतान कर चुका है एवं वह भी माईनस में चल रहा है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 880, दिनांक 06.01.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 917, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है। सुनवाई में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिउत्तर पेश नहीं किया गया। परन्तु उपखण्ड अधिकारी कीर्तिनगर द्वारा प्रतिउत्तर पेश किया गया।

विपक्षी के कार्यालय पत्रांक 1005/विविखश्री/दिनांक–23.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उक्त उपभोक्ता को प्रेषित सेक्शन 5 का नोटिस निरस्त कर दिया गया है।

विश्लेषण

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई। वादी के परिसर पर दो संयोजन (SN15115073030, SN15117173030) चल रहे हैं, जिसमें संयोजन सं0–SN15117173030 डुप्लीकेट है। विपक्षी द्वारा इस डुप्लीकेट संयोजन पर बकाया वसूलने हेतु जिलाधिकारी महोदय को सेक्सन–5 का नोटिस भूलवश निर्गत किया गया है। जिसको कि विपक्षी द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

आदेश

वादी की समस्या का निस्तारण कर दिया गया है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026	28/3/26	
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026	28/3/26	
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः– **Cgrfsrinagar@gmail.com**

वाद संख्या–253 / 2026

श्री शुभम भट्ट
घसियामहादेव
श्रीनगर गढवाल। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल। — विपक्षी

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी)
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता) — कोरम

वादी श्री शुभम भट्ट पुत्र श्री सदानन्द भट्ट, निवासी–घसियामहादेव, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 02.02.2026 को इस से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत मापक संख्या–SS15062103 है एवं विद्युत बिल अधिक आना और समय पर न आना एक अनियमित समस्या प्रदान कर रहा है। वादी का कथन है कि सम्बन्धित मीटर रीडर सितम्बर माह से फरवरी 2026 तक उनके परिसर पर रीडिंग लेने नहीं आया है, जिस कारण उनके विद्युत बिल नही बन पा रहे हैं। वादी द्वारा अनुरोध किया गया कि बिल नियमित तौर पर बनाये जाये ताकि अत्यधिक बिल प्राप्त न हो। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 904, दिनांक 02.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

मंच के कार्यालय पत्रांक 922, दिनांक 06.02.2026 के द्वारा उपरोक्त वाद में सुनवाई की तिथि 28.02.2026 नियत की गई है, एवं सुनवाई में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–581 / विविखश्री / दिनांक 10.02.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता को जो भी बिल निर्गत किये गये है वह रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये है। माह नवम्बर 2025 में समस्त मीटर रीडर हडताल मे थे। जिस कारण शिकायतकर्ता का माह नवम्बर 2025 का बिल नहीं बन पाया। माह नवम्बर 2025 एवं जनवरी 2026 का बिल एक साथ बनने के कारण शिकायतकर्ता का बिल अधिक बना है। यदि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नही होता है तो किसी भी कार्यदिवस को उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर लगने के पश्चात् जो भी रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी उसके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई। वादी से दूरभाष पर सम्पर्क कर यह अवगत हुआ है कि उनको माह 03 / 2026 का बिल उपलब्ध करा दिया गया है।

आदेश

वादी को माह 03 / 2026 का बिल निर्गत कर दिया गया है। यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर की फीस जमा करायें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026 28/3/26 /

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026 28/3/26 /

अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–255/2026

श्री जी0एन0पुरी
श्रीकोट गंगानाली
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री जी0एन0पुरी, श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि जब से उनके परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है तब से वादी को न तो विद्युत बिल उपलब्ध करायें जा रहे हैं और न ही उनके मोबाईल पर बिल सम्बन्धी मैसेज आ रहे हैं। उक्त के सम्बन्ध में वादी द्वारा लगातार विभाग के चक्कर लगाये जा रहे हैं परन्तु उनकी शिकायत का निस्तारण नही हो पा रहा है, जिससे उनको परेशानियां हो रही है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 923, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 942, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–970 / विविखश्री / दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि तकनीकी कारणों से शिकायतकर्ता के मोबाइल पर मैसेज नहीं जा पा रहे हैं। जिसके निस्तारण हेतु सूचना मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। मुख्यालय से सूचना का निस्तारण होने पर शिकायतकर्ता के मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होने शुरू हो जायेगें।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के मोबाइल पर मैसेज न आने सम्बन्धी शिकायत विपक्षी द्वारा यूपीसीएल मुख्यालय को अग्रसारित की जा चुकी है।

आदेश

विपक्षी द्वारा वादी की शिकायत का नियमानुसार निस्तारण करने हेतु सूचना मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। मुख्यालय से सूचना का निस्तारण होने पर वादी के मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होने शुरू हो जायेगें। एवं इसकी अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–256 / 2026

श्री मुकेश चन्द्र
तोल्यों, श्रीकोट गंगानाली
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री मुकेश चन्द्र, तोल्यों, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को श्रीकोट उपसंस्थान स्थित शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत बिल पहले से अधिक आ रहा है जबकि उनके द्वारा किसी भी नये उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनके पूर्व के बिलों का अवलोकन कर उनके बिल सही करने की कृपा करें। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 924, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 943, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0-969/विविखश्री/दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता को जो भी बिल निर्गत किये गये हैं वह रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये जा रहे है। शिकायतकर्ता का विद्युत बिल को लोड भी 4 से 5 किवा तक आंका जा रहा है, जो कि खपत के अनुसार सही है। यदि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है तो किसी भी कार्यदिवस को उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर लगने के पश्चात् सहायक अभियन्ताा (मापक) द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी उनके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को विद्युत बिल सही रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये हैं।

आदेश

यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर की फीस जमा करायें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/3/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/3/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–257 / 2026

श्री हरेन्द्र सिह नेगी
नागराजा मोहल्ला
श्रीकोट गंगानाली। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री हरेन्द्र सिंह नेगी, नागराजा मोहल्ला, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को श्रीकोट उपसंस्थान स्थित शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत बिल खपत की अपेक्षा पूर्व की तुलना में अधिक आ रहा है, जिससे वादी परेशान है, साथ ही वादी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके मोबाइल नं0 (7579080816) को रजिस्टर करने की कृपा करें ताकि विद्युत बिल सम्बन्धी मैसेज उनको मोबाइल पर प्राप्त होना प्रारम्भ हो सके। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 925, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 944, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–972 / विविखश्री / दिनांक 17.03. 2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता के बीजकों की जांच की गई जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता को पूर्व की भांति ही बीजक प्रेषित किये जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अधिक प्रतीत नहीं होते हैं। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता के द्वारा प्रेषित मोबाइल न0 उनके विभागीय संयोजन में अद्यतन है एवं मैसेज न आने सम्बन्धी शिकायत यूपीसीएल मुख्यालय को अग्रसारित की जा चुकी है।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को पूर्व की भांति ही बीजक प्रेषित किये जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अधिक प्रतीत नहीं होते हैं।

आदेश

विपक्षी द्वारा वादी के बीजकों की जांच की गई जिसमें बीजक पूर्व की भांति ही प्रेषित किये जा रहे हैं। वादी के मोबाइल पर मैसेज न आने सम्बन्धी शिकायत विपक्षी द्वारा यूपीसीएल मुख्यालय को अग्रसारित की जा चुकी है। एवं इसकी अनुपालन आख्या अधिकतम 01 माह के भीतर मंच को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/3/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/3/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–258/2026

सुश्री कमला देवी
नियर पैट्रोल पम्प
श्रीकोट गंगानाली। वादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादिनी सुश्री कमला देवी, नियर पैट्रोल पम्प, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को श्रीकोट उपसंस्थान स्थित शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादिनी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका विद्युत बिल अधिक आ रहा है। वादी द्वारा ऐंसे किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है जिससे कि विद्युत की अधिक खपत हो। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि वह एक गरीब महिला है और इतना बिल भरने में असमर्थ है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 926, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 945, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0—971 / विविखश्री / दिनांक 17.03. 2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता के बीजकों की जांच की गई जिसमें पाया गया कि उपभोक्ता को पूर्व की भांति ही बीजक प्रेषित किये जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अधिक प्रतीत नहीं होते हैं। यदि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है किसी भी कार्यदिवस को उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर लगने के पश्चात् सहायक अभियन्ताा (मापक) द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी उनके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी को पूर्व की भांति ही बीजक प्रेषित किये जा रहे हैं।

आदेश

यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर की फीस जमा करायें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/3/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026
अमित ठाकुर
(सदस्य उपभोक्ता)

28/3/26
रजनीश अग्रवाल
(सदस्य तकनीकी)

/
कीर्ति प्रसाद भट्ट
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–259 / 2026

श्री संजय पाण्डेय
नियर चन्द्रलोक होटल
श्रीकोट गंगानाली। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री संजय पाण्डेय, नियर चन्द्रलोक होटल, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को श्रीकोट उपसंस्थान स्थित शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी द्वारा फिक्सड डिमाण्ड चार्जेज लगने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 927, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 946, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

वाद सं0–259/2026
(उ0शि0नि0मं0–श्रीनगर)

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–965/विविखश्री/दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि उक्त शिकायतकर्ता का एक्सट्रा फिक्सड डिमाण्ड चार्जेज एम0डी0 के आधार पर बिल में सम्मिलित किया जा रहा है। उपभोक्ता के विद्युत बिल का लोड वर्तमान में 01 किवा है। परन्तु माह अक्टूबर, दिसम्बर एवं माह जनवरी 2026 में शिकायतकर्ता का लोड क्रमशः 2.21 किवा, 1.65 किवा, एवं 2.32 किवा आंका गया है। जिस कारण उक्त लोड के आधार पर शिकायतकर्ता के बिल में फिक्सड डिमाण्ड चार्जेज लगा है, जो विभागीय नियमानुसार सही है।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी का स्वीकृत भार 01 किवा वाणिज्यिक श्रेणी में है, जबकि मााह 12/2025 एवं माह 01/2026, 02/2026 में मापक की अधिकतम डिमाण्ड क्रमशः 1.66 किवा, 2.33 किवा, 1.92 किवा रही है, जिस कारण वादी पर फिक्सड चार्ज बढ गया है।

आदेश

वादी को विद्युत बिल विभागीय नियमानुसार निर्गत किये गये है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026	28/3/26	/
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026	28/3/26	/
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाषः–7668147679, ई–मेलः–Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–260/2026

श्री चतुर सिंह राणा
तोल्यों, श्रीकोट गंगानाली
श्रीनगर गढवाल। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री चतुर सिंह राणा, तोल्यों, श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर गढवाल का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को श्रीकोट उपसंस्थान स्थित शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी शिकायत की गई थी कि उनके पूर्व के औंसतन बिलों के अनुसार वर्तमान में बहुत अधिक बिल आ रहे हैं जिससे वह काफी परेशान है एवं वादी द्वारा चैक मीटर लगाने के लिए अनुरोध किया गया है। इस हेतु वादी द्वारा मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 928, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 947, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0-968/विविखश्री/दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता को जो भी बिल निर्गत किये गये हैं वह रीडिंग के आधार पर ही निर्गत किये गये हैं, यदि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है किसी भी कार्यदिवस को उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर लगने के पश्चात् सहायक अभियन्ताा (मापक) द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी उनके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के ऑनलाईन बिलों की जांच में पाया गया कि उनको सही रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर की फीस जमा करायें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस-1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026	28/3/26	/
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026	28/3/26	/
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)
द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:– Cgrfsrinagar@gmail.com

वाद संख्या–262/2026

श्री सुरेश चन्द्र गैरोला
वार्ड सं0–04 मेडिकल रोड
श्रीकोट गंगानाली। वादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री सुरेश चन्द्र गैरोला, वार्ड सं0–04 मेडिकल रोड़, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को श्रीकोट उपसंस्थान स्थित शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी शिकायत की गई थी कि जब से उनके परिसर पर स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है तब से वादी को अत्यधिक विद्युत बिल प्राप्त हो रहे हैं, जिससे उनको परेशानियो का सामना करना पड रह है। वादी द्वारा बढे हुये बिलों को ठीक करने के लिए मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 929, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 948, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–968 / विविखश्री / दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता के विद्युत बिल का लोड वर्तमान में 02 किवा तक आंका गया हैं। इस दशा में शिकायतकर्ता को अपने संयोजन का लोड बढाना उचित होगा। यदि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है किसी भी कार्यदिवस को उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर लगने के पश्चात् सहायक अभियन्ताा (मापक) द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी उनके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के विद्युत बिल का लोड वर्तमान में 02 किवा तक आंका गया हैं। इस दशा में वादी को अपने संयोजन का लोड बढाना उचित होगा।

आदेश

यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर की फीस जमा करायें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस–1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026	28/3/26	
अमित ठाकुर	**रजनीश अग्रवाल**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(सदस्य उपभोक्ता)	**(सदस्य तकनीकी)**	**सदस्य (न्यायिक)**

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026	28/3/26	
अमित ठाकुर	**रजनीश अग्रवाल**	**कीर्ति प्रसाद भट्ट**
(सदस्य उपभोक्ता)	**(सदस्य तकनीकी)**	**सदस्य (न्यायिक)**

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (श्रीनगर ग0)</u>
<u>द्वितीय तल विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर–246174</u>
दूरभाष:–7668147679, ई–मेल:–<u>Cgrfsrinagar@gmail.com</u>

<u>वाद संख्या–263/2026</u>

श्री नरेन्द्र सिंह
श्रीकोट गंगानाली। वादी

<u>बनाम</u>

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड विपक्षी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
श्रीनगर गढवाल।

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (सदस्य न्यायिक)
श्री रजनीश अग्रवाल (सदस्य तकनीकी) कोरम
श्री अमित ठाकुर (सदस्य उपभोक्ता)

वादी श्री नरेन्द्र सिंह, श्रीकोट गंगानाली का शिकायती पत्र दिनांक 06.02.2026 को श्रीकोट उपसंस्थान स्थित शिविर से प्राप्त हुआ था, जिसमें वादी अत्यधिक विद्युत बिल आने सम्बन्धी शिकायत की गई थी। वादी द्वारा बढे हुये बिलों को ठीक करने के लिए मंच के समक्ष शिकायत का निस्तारण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल द्वारा विपक्षी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर गढवाल को अपने पत्रांक सं0 930, दिनांक 07.02.2026 द्वारा नोटिस जारी किया गया।

इस सन्दर्भ में 01 माह पूर्ण हाने के बावजूद विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढवाल द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर द्वारा अपने पत्र सं0 949, दिनांक 07.03.2026 को एक अनुस्मारक पत्र जारी किया गया।

विपक्षी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक सं0–966/विविखश्री/दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से मंच को अवगत कराया है कि शिकायतकर्ता के ऑनलाईन बिलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता को जो भी बिल निर्गत किये गये हैं वह रीडिंग के आधार

पर ही निर्गत किये गये हैं, जो कि सही है। यदि शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है किसी भी कार्यदिवस को उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर हेतु आवेदन कर सकता है। चैक मीटर लगने के पश्चात् सहायक अभियन्ताा (मापक) द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी उनके बाद विभागीय नियमानुसार उचित कार्यवाही कर दी जायेगी।

आज दिनांक 28.03.2026 को बैठक हुई संलग्न पत्रावली का अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादी के ऑनलाईन बिलों की जांच में पाया गया कि उनको सही रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

यदि वादी को ऐंसा प्रतीत होता है कि उनका विद्युत मापक तेज चल रहा है तो वह विपक्षी के कार्यालय में उपस्थित होकर चैक मीटर की फीस जमा करायें। इसके पश्चात् ही विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है।

अतः वादी का वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

वादी यदि इस निर्णय से सहमत न हो तो वह एक माह के अन्दर माननीय लोकपाल (विद्युत) 80 बसन्त बिहार, फेस—1 देहरादून में अपील कर सकते हैं।

28/3/2026	28/3/26	/
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

निर्णयादेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच श्रीनगर गढवाल मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

28/3/2026	28/3/26	/
अमित ठाकुर	रजनीश अग्रवाल	कीर्ति प्रसाद भट्ट
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)